

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र0/ऊर्जा विविध-09/2017-
प्रेषक,

/पटना, दिनांक-

सुधा गुप्ता,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना ।

विषय:-

मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजनान्तर्गत 1 से 500 किलोवाट (125 मेगावाट) पावर क्षमता के राज्य के सरकारी आवास, भवन, गैर सरकारी भवनों, संस्थागत एवं सामाजिक संस्थान, जो सरकार से वित्त पोषित हैं, में राज्य एवं केन्द्रीय अनुदान तथा वैसे संस्थागत एवं सामाजिक संस्थान, जो सरकार से वित्त पोषित नहीं हैं, में मात्र केन्द्रीय अनुदान के साथ ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप पावर प्लान्ट की कुल 937.50 करोड़ (नौ सौ सैंतीस करोड़ पचास लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार द्वारा **Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2025-26 Under Part-1** के अंतर्गत विमुक्त की गयी राशि में से 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़) रुपये ब्रेडा को भुगतान करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या-4099 दिनांक-22.08.2025 एवं शुद्धि-पत्र संख्या-4165 दिनांक-26.08.2025 के आलोक में मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजनान्तर्गत 1 से 500 किलोवाट (125 मेगावाट) पावर क्षमता के राज्य के सरकारी आवास, भवन, गैर सरकारी भवनों, संस्थागत एवं सामाजिक संस्थान, जो सरकार से वित्त पोषित हैं, में राज्य एवं केन्द्रीय अनुदान तथा वैसे संस्थागत एवं सामाजिक संस्थान, जो सरकार से वित्त पोषित नहीं हैं, में मात्र केन्द्रीय अनुदान के साथ ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप पावर प्लान्ट की कुल 937.50 करोड़ (नौ सौ सैंतीस करोड़ पचास लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार द्वारा **Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2025-26 Under Part-1** के अंतर्गत विमुक्त की गयी राशि में से 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़) रुपये ब्रेडा को भुगतान करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

2. उक्त राशि बजट मांग संख्या-10, मुख्य शीर्ष-4810-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम और अनुप्रयोग, डीजाइन तथा विकास, उपशीर्ष-0102-जल-जीवन हरियाली, विपत्र कोड-10-4810001010102 विषय शीर्ष-5301-मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है:-

बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
2,59,00,00,000.00	0.00	100,00,00,000.00	100,00,00,000.00	1,59,00, 00,000.00

3. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।
4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही इस राशि की निकासी करेंगे। यह राशि इस मद में कुल उपबंधित राशि के अधीन है।
5. आवंटित राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित इकाई के कोड संख्या का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिन्हित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण-पत्र भी अंकित करेंगे।
6. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान कार्यान्वयन एजेंसी ब्रेडा, पटना को HDFC Bank Limited, Moti Chowk, Khagaul के खाता सं0-50200113444462 एवं IFSC Code-HDFC0001081 में की जायेगी।
7. उक्त प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(सुधा गुप्ता)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र0/ऊर्जा विविध-09/2017-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

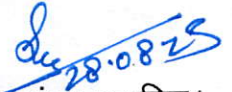
ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र0/ऊर्जा विविध-09/2017- 118

/पटना, दिनांक- 28.08.2025

प्रतिलिपि:-लेखा शाखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग/राजस्व शाखा, वित्त विभाग/प्रशाखा-7, वित्त विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0/निदेशक, ब्रेडा, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।